

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जून, 2017-ज्येष्ठ 26, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन सूचित करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज तथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पास-बुक, आदि में मेरा नाम अमन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन है, लेकिन मेरी एल.आई.सी. की पॉलिसी क्र. 200661696 में मेरा नाम गलती के कारण समयक जैन अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही नाम अमन जैन ही है. मुझे अमन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( अमन जैन )  
पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन.

नया नाम :  
( अमन जैन )  
पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन,  
जैन मेडिकल हॉल, टाटा शोरूम के पास,  
मालरोड, मुरार, ग्वालियर ( म.प्र. ).

(150-बी.)

#### उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा उप-नाम "मालवीया" रहा होकर मेरा पूर्ण नाम उप-नाम सहित समीर मालवीया पिता विजयकिशोर मालवीया था व मुझे इसी नाम व उप-नाम से जाना व पहचाना व संबोधित किया जाता रहा है व यही नाम मेरे दस्तावेजों में दर्ज/अंकित है. मैंने अपने उप-नाम मालवीया के स्थान पर परिवर्तित कर खण्डेलवाल कर लिया है व अब मेरा पूर्ण नाम उप-नाम सहित "समीर खण्डेलवाल पिता विजयकिशोर" कर लिया है व भविष्य में अब मुझे अपने परिवर्तित उप-नाम से जाना-पहचाना व संबोधित किया जाएगा.

पुराना नाम :  
( समीर मालवीया )  
पिता-विजयकिशोर मालवीया.

नया नाम :  
( समीर खण्डेलवाल )  
पिता-विजयकिशोर,  
जी-1, अरिहन्त विला, 79 ईई. आई.डी.ए.  
स्कीम नं. 94, सेक्टर-ई, रिडिसिद्धि विहार के पास,  
खजराना चौराहा, इन्दौर ( म.प्र. ), पिन नं. 452016.

(151-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनीता पाटनकर पत्नी श्री फतेह सिंह पाटनकर था. शादी से पूर्व नाम अनीता देसाई (ANEETA DESAI) था, किन्तु शादी के उपरांत मैंने अपना नाम अनीता देसाई के स्थान पर अनीता पाटनकर (ANITA PATANKAR) रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे अनीता पाटनकर (ANITA PATANKAR) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
(अनीता देसाई)

नया नाम :  
(अनीता पाटनकर)  
पति श्री फतेह सिंह पाटनकर,  
निवासी-407, फ़ैस-3, गार्डन होम्स,  
सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(152-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष आचोलिया पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, निवासी-646, ग्राम छापीहैड़ा, बाजार चौक, छापीहैड़ा, राजगढ़ (म.प्र.). यहकि मुझे प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम आशीष गुप्ता है, किन्तु अब मैंने अपना नाम आशीष गुप्ता के स्थान पर आशीष आचोलिया रख लिया है.

अतः अब मुझे भविष्य में आशीष आचोलिया के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
(आशीष गुप्ता)

नया नाम :  
(आशीष आचोलिया)  
पिता-श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता,  
निवासी-646, ग्राम छापीहैड़ा बाजार चौक,  
छापीहैड़ा, राजगढ़ (म.प्र.).

(153-बी.)

**CHANGE OF SUR NAME**

I, Monali Bhaumik after marriage changed my name to "Monali Krishnan" vide affidavit dated 11<sup>th</sup> May, 2017 sworn before notary GNA Siddiqui Bhopal.

Old Name:  
(MONALI BHAUMIK)

New Name :  
(MONALI KRISHNAN)

(154-B.)

**नाम परिवर्तन**

विवाह के पूर्व मेरा नाम नीता खेर पिता मधुकर खेर, निवासी उज्जैन था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम शुभलक्ष्मी मोघे पत्नी नारायण मोघे, निवासी 81, आशीर्वाद कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :  
(कु. नीता)  
पिता-मधुकर खेर.

नया नाम :  
(शुभलक्ष्मी मोघे)

(158-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम उत्तम कुशवाह पिता मोहन कुशवाह था. चूँकि मेरा नाम एल.आई.सी. में गलती से उत्तम कुशवाह लिखा दिया गया है.

अब मैं, भविष्य में अपना नाम बदलकर बलराम करना चाहता हूँ. मुझे भविष्य में बलराम के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा. समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बलराम लिखा है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :  
(उत्तम कुशवाह)

नया नाम :  
(बलराम)  
वीरपुर नारद बाबा की बगिया, सिकन्दर कम्पू,  
लशकर, ग्वालियर.

(159-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व में अजय गुप्ता (AJAY GUPTA) एवं अजय गोयल (AJAY GOYAL) पुत्र श्री रामनारायण गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जाता रहा हूँ एवं मेरे मूल दस्तावेजों में अजय गुप्ता (AJAY GUPTA) व अजय गोयल (AJAY GOYAL) नाम अंकित है. अब मैं, अपनी स्वेच्छा से नाम परिवर्तन कर अजय गुप्ता (AJAY GUPTA) कर रहा हूँ. अतएव भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अजय गुप्ता (AJAY GUPTA) से ही जाना-पहचाना जाये एवं मेरे समस्त मूल दस्तावेजों में भी नया नाम अजय गुप्ता (AJAY GUPTA) अंकित किया जाए.

पुराना नाम :

(अजय गुप्ता)  
(AJAY GUPTA)  
एवं  
(अजय गोयल)  
(AJAY GOYAL)

(160-बी.)

नया नाम :

(अजय गुप्ता)  
(AJAY GUPTA)  
पुत्र-श्री रामनारायण गुप्ता,  
बी-202, अमरकंटक अपार्टमेंट, साकेत नगर,  
तानसेन रोड, ग्वालियर-474002 (म.प्र.).

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform that M/s Jai Mangala Kali Jewellers, having head office at 01, sarafa Bazaar, Jabalpur is registered partnership firm. On 01-04-2016, Shri Manish Soni has retired from the partnership and smt. Rajmani Soni joined the partnership. Now the partners of the firm are Shri Sushil Kumar Soni and Smt. Rajmani Soni.

This public Notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

for M/s. Jai Mangala Kali Jewellers,  
**SUSHIL KUMAR SONI,**  
(Partner).

(147-B.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-जय श्री माँ अम्बाह, रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00049/06, सन् 2006-07 रजिस्टर्ड ऑफिस जी-100, सनथ होम्स, कैलाश विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर पर स्थित है. जिसमें ग्यारह साझेदार श्री अंबरीश शिवहरे, श्रीमती अनामिका शिवहरे, श्री शेखर शिवहरे, श्रीमती जानकी देवी शिवहरे, श्री गौरव शिवहरे, श्री सुरेश समाधिया, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री कुशल किशोर शिवहरे, श्री मुन्ना खान, श्री भीम सिंह तोमर एवं श्री राजकुमार तोमर हैं. श्रीमती जानकी देवी शिवहरे, श्री गौरव शिवहरे, श्री सुरेश समाधिया, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री कुशल किशोर शिवहरे, श्री मुन्ना खान, श्री भीम सिंह तोमर एवं श्री राजकुमार तोमर उक्त फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से अन्य साझेदारों की सहमति से अलग हो चुके हैं. भविष्य में इनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा तथा श्री मुकेश शिवहरे एवं श्रीमती भारती शिवहरे को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से अन्य साझेदारों की सहमति से साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है. समस्त सूचित हों.

सूचनाकर्ता-

मेसर्स-जय श्री माँ अम्बाह,  
अंबरीश शिवहरे,  
(भागीदार).

(148-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-अशोका इंटरप्राइजेस, प्लॉट नं. 130, वार्ड नं. सेक्टर-एच, इंटरप्राइजेस एरिया, गोविन्दपुरा, हुजूर, भोपाल-462001, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0542/17, सन् 2017-18 है, जिसमें दिनांक 18 मई, 2017 को भागीदार श्री अशोक विश्वकर्मा पुत्र श्री बी. एल. विश्वकर्मा, निवासी-म.नं. 53, चौकसे नगर, न्यू डी.आई.जी. बंगला, भोपाल, म.प्र. फर्म से निवृत्त हो गये हैं. शेष भागीदार सर्वश्री:- 1. श्री राजेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र श्री बी. एल. विश्वकर्मा, निवासी-मकान नं. 3/40, छत्रसाल नगर, फेस-2, रायसेन रोड, भोपाल. 2. श्री दिलीप विश्वकर्मा पुत्र श्री बी. एल. विश्वकर्मा, निवासी-फ्लेट क्र. 10, ब्लॉक-एफ, गिरनार वैली, भानपुर ब्रिज के पास, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल. फर्म के व्यवसाय को उक्त पते पर जारी रखेंगे. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-अशोका इंटरप्राइजेस,

राजेन्द्र विश्वकर्मा,  
पता-प्लॉट नं. 130, वार्ड नं. सेक्टर-एच,  
इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, हुजूर, भोपाल.

(155-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स-महादेव दाल मिल, म.नं. 21, साहू निवासी, राधाकृष्णन वार्ड, शोभापुर रोड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 01/07/01/00554/11, सन् 2010-11 है, जिसमें दिनांक 09 जनवरी, 2017 को भागीदार श्री सीताराम साहू पुत्र स्व. श्री मोतीलाल साहू, निवासी-मकान नं. 21, साहू निवासी, राधाकृष्णन वार्ड, शोभापुर रोड, पिपरिया का स्वर्गवास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा दिनांक 10 जनवरी, 2017 से श्री भानू कुमार साहू पुत्र स्व. श्री सीताराम साहू एवं श्री तनिश साहू पुत्र श्री विनोद साहू दोनों निवासी म.प्र. 21, साहू निवासी राधाकृष्णन वार्ड, शोभापुर रोड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद फर्म में नवीन साझेदारगण के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-महादेव दाल मिल,  
नारायण साहू,  
(भागीदार)

(156-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स-मधुवन इन्टरप्राइजेज पार्टनरशिप स्थित कोटा वाला मोहल्ला, लोहामण्डी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0009/17, सन् 2017-2018 है, जिसमें दिनांक 01 जून, 2017 को नवीन कुमार जैन पुत्र श्री श्रीपत प्रसाद जैन, निवासी दाना ओली, लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01 जून, 2017 को ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री पूरनचंद जैन, निवासी मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हों.

मधुवन इन्टरप्राइजेज,  
लक्ष्मी जैन,  
(पार्टनर)

(157-बी.)

### सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म एस. के. कन्सट्रक्शन से दिनांक 06 जून, 2017 से भागीदार क्र. 2 सादिक पिता शरीफ अहमद कुरैशी फर्म से अलग हो रहे हैं.

एस. के. कन्सट्रक्शन,  
तारिक कुरैशी,  
(भागीदार).  
राहतगढ़, जिला-सागर (म.प्र.).

(161-बी.)

### NOTICE U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s NUMERO UNO TRADER" of Bhopal vide Reg. No. 01/03/02/0026/2015-2016, Dated 15 April, 2015 undergone the following changes:-

1. That the parties here to have decided to dissolve the said partnership firm w.e.f. 15<sup>th</sup> MARCH, 2017.

"M/s NUMERO UNO TRADER",  
HARISH DAWAR,  
(Partner).

Industrial Area, Sector-A, Plot No. 48-A,  
Mandideep, Teh.-Goharganj,  
Distt.-Raisen (M.P.).

(162-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री तिरूपति बालाजी एण्ड कम्पनी स्थित सिटी सेंटर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00181/10, दिनांक 15 फरवरी, 2010 है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2015 को सभी भागीदारों की आम सहमति से फर्म का विघटन (भंग) किया जा रहा है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-श्री तिरूपति बालाजी एण्ड कम्पनी,  
लक्ष्मीनारायण शिवहरे,  
(भागीदार).

(163-बी.)

**सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अंकुर कंस्ट्रक्सन कं. जिसका साझेदारी पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 05 मई, 1986 से 10 खरी फाटक रोड, विदिशा (म.प्र.) में पंजीकृत है. मेसर्स अंकुर कंस्ट्रक्सन कं. में 5 भागीदार (1) जसवंत सिंह रघुवंशी पुत्र राधेलाल रघुवंशी आयु वयस्क, (2) बद्रीप्रसाद ठाकुर पुत्र भियालाल ठाकुर आयु वयस्क हैं, (3) गोविन्द सिंह रघुवंशी पुत्र राधेलाल रघुवंशी आयु वयस्क, (4) रघुवीर सिंह रघुवंशी पुत्र नेतराम रघुवंशी आयु वयस्क, (5) श्रीराम रघुवंशी पुत्र कारेलाल रघुवंशी आयु वयस्क है. जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2002 से श्री बद्रीप्रसाद ठाकुर पुत्र भियालाल ठाकुर आयु-वयस्क साझेदारी अवकाश ले रहे हैं, जिनके स्थान पर पांचवे साझेदार के रूप में अजय सिंह पुत्र काशीराम सिंह आयु वयस्क शामिल हो रहे हैं और उसके बाद दिनांक 01 अप्रैल, 2009 को श्रीराम रघुवंशी पुत्र कारेलाल रघुवंशी साझेदारी से अलग हो रहे हैं, जिनके स्थान पर नये साझेदार श्री राहुल प्रताप सिंह एवं श्री रोहित रघुवंशी के रूप में शामिल हो रहे हैं.

शैलेश साहू एंड एसोसिएट,  
शैलेश साहू,  
कर सलाहकार,  
प्लॉट नं. 21, नियर होटल आदित्य पैलेस,  
जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(164-बी.)

**विविध****निविदा सूचनाएं**

भोपाल, दिनांक 09 जून, 2017

**निविदा सूचना**

क्र. जी.बी. चार/पेपर(1)/2017-18/1331.-ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 10 जुलाई, 2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर भी रखा गया है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्ड कॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी दिनांक 10 जुलाई, 2017 अपरान्ह 4.00 बजे की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी.

(1309)

Bhopal, Dated 09 June, 2017

**TENDER NOTICE**

No. GB-IV-Paper(1) 2017-18/1331.-*Online Bidding go through IT Department Portal <https://mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 10<sup>th</sup> July, 2017 as per Key-Dates for the Purchase of various types of Printing Papers from manufacturing mills or their Authorized Dealers can participate.*

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE on or before 4.00 PM on 10<sup>th</sup> July, 2017 and as per Key-Dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://mpeproc.gov.in>

(1309-A)

**RAJESH KOUL,**  
Controller,  
Govt. Printing and Stationery,  
M.P., Bhopal.

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

प्रारूप-चार

[ नियम-5 (1) देखिये ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

चूंकि श्री यशवंत पिता चौधमल बंसल, 44, सत्यपथ, दाना गली, नीमच, जिला-नीमच (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस विज्ञापित के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच म.प्र. का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	"श्रीमती चन्दादेवी यशवंत बंसल पारमार्थिक ट्रस्ट, नीमच"
पता	:	44, सत्यपथ, दाना गली, नीमच, जिला-नीमच (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,  
पंजीयक.

(1299)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा

प्र. क्र. 04/बी-113 (1)/2016-17.

### फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत] समक्ष-पंजीयक लोक न्यास-बड़वाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री बलरामसिंह पिता अन्तरसिंह परमार, निवासी-वार्ड नम्बर-1, नर्मदा कॉलोनी, टॉकीज के पीछे, खातेगाँव, जिला देवास की ओर से "श्री दादाजी धुनीवाले आत्मतीर्थ मंदिर समिति ग्राम डेहरिया ट्रस्ट" ग्राम डेहरिया, तहसील बड़वाहा, जिला खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
01	नगद	-	-	-
02	अचल सम्पत्ति	-	-	-

(1300)

एम. आर. धुर्वे,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर**

( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "श्री पंचमुखी विजयवीर हनुमान मंदिर" पता-छोटा बांगड़दा चौराहा, सुपर कॉरीडोर रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री श्री 108 महंत विजयरामदास गुरु श्री मंगलदासजी निवासी-विजयवीर हनुमान मंदिर, छोटा बांगड़दा चौराहा, सुपर कॉरीडोर रोड, गांधी नगर, इन्दौर द्वारा "श्री पंचमुखी विजयवीर हनुमान मंदिर" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अधिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री पंचमुखी विजयवीर हनुमान मंदिर"
पता	:	कार्यालय-छोटा बांगड़दा चौराहा, सुपर कॉरीडोर रोड, इन्दौर, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल-अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1301)

( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "भक्तामर अभ्युदय ट्रस्ट" पता-234, तिलकपथ, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री प्रदीप बड़जात्या पिता श्री दीपचन्द बड़जात्या अन्य-6, निवासी-आर-1, एक्स-07, स्कीम नं. 71, मुकुट मांगलिक भवन के पीछे, गुमाशता नगर के पास, इन्दौर द्वारा "भक्तामर अभ्युदय ट्रस्ट" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अधिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"भक्तामर अभ्युदय ट्रस्ट"
पता	:	कार्यालय--234, तिलकपथ, इन्दौर, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1302)

( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर संस्थान" पता-धनवंतरी नगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री अरूण पिता श्री हंसराज शर्मा, निवासी-19 बी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर द्वारा "श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर संस्थान" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिर संस्थान”
पता	:	कार्यालय--धनवंतरी नगर, इन्दौर, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश).
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में नगद राशि रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बिहारीसिंह,  
रजिस्ट्रार.

(1303)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, पंजी. क्र. 822, दिनांक 24 सितम्बर, 2010, विकासखण्ड मोहगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2459, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च, 2017 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, आलोक कुमार दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक कुमार दुबे,  
सहायक रजिस्ट्रार.

(1295-A)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला-टीकमगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियाँ जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत अद्योहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5
1.	जय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., निवाड़ी	805/09-11-2005	776/30-07-2015	निवाड़ी
2.	जनता बुनकर सहकारी समिति मर्या., उबौरा	300/02-11-1977	777/27-01-2015	निवाड़ी
3.	स्वतंत्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., चचावली	353/14-11-1985	775/30-07-2015	निवाड़ी
4.	सरस्वती ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., निवाड़ी	722/09-09-2003	779/30-07-2015	निवाड़ी



1	2	3	4	5
5.	औरछा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., निवाड़ी	770/02-04-2005	778/30-07-2015	निवाड़ी
6.	खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	94/21-01-1961	912/24-09-2016	टीकमगढ़
7.	बुन्देलखण्ड प्रक्षेत्र बानकी सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	512/23-09-1997	911/24-09-2016	टीकमगढ़
8.	काष्ट कला उद्योग सहकारी समिति मर्या., मुहारा	25/28-02-1950	211/30-01-2012	जतारा
9.	सौर बन्धु उद्योग सहकारी समिति मर्या., बैरवार	07/11-11-1974	249/30-01-2012	जतारा
10.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पटौरी	694/27-06-2002	240/30-01-2012	बल्देवगढ़
11.	गोकुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनेरा	786/06-06-2005	150/19-02-2010	बल्देवगढ़
12.	शिव महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरा मडोरी	781/31-05-2005	226/30-01-2012	बल्देवगढ़
13.	माँ विन्धवासिनी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दुर्गानगर	644/22-02-2002	227/30-01-2012	बल्देवगढ़
14.	माँ दूबदेई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., दौह	833/27-12-2006	228/30-01-2012	बल्देवगढ़
15.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुडीला	841/15-10-2007	229/30-01-2012	बल्देवगढ़
16.	बजरंग महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लडवारी	673/18-02-2002	239/30-01-2012	बल्देवगढ़

अतः मैं, एच. के. झाम, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियों स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जायेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तक, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अंदर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिल या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी।

यह सूचना आज दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(1304)

एच. के. झाम,  
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

सागर, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर	1503/21-08-2014	309/20-02-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौताकलां	1368/26-07-2011	310/22-02-2017
3.	गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमला	145/30-07-2007	317/20-02-2017
4.	सरस्वती महिला विकास सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर	1223/19-04-2006	1612/06-07-2016

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण

किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्राप्त किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं में अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

**बसंत रोहित,**

परिसमापक/सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(1305)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदि. मछुआ सहकारी समिति मर्या., पड़वार, जिला जबलपुर	785	86/06-01-2017
2.	माढ़ोताल मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	868	84/06-01-2017
3.	चेतना मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1505	85/06-01-2017
4.	पीताम्बर मछुआ सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1685	83/06-01-2017
5.	माँ नर्मदा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1874	88/06-01-2017
6.	प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरगी, जबलपुर	1718	87/06-01-2017

अतः मैं, राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण को जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे या स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

**राजेन्द्र यादव,**

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1306)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियों

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	जन कल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1923	89/06-01-2017

अतः मैं, आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे या स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1306-A)

आशीष कुमार शुक्ला,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश क्रमांक/उ.आ.स./परि./....., दिनांक..... के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तकनीकी श्रमिक औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	256	क्रमांक 461/17-02-2016
2.	शिक्षित बेरोजगार उद्योग सहकारी समिति, जबलपुर	217	क्रमांक 460/17-02-2016
3.	अमर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जबलपुर	1151	क्रमांक 466/17-02-2016
4.	अनु. जा./ज. जाति खनिज उद्योग, मोहनिया	97एच	क्रमांक 824/16-03-2016
5.	विकास वनोपज सहकारी समिति, जबलपुर	509	क्रमांक 827/16-03-2016
6.	स्व-रोजगार प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति	516	क्रमांक 830/16-03-2016
7.	दुर्गेशनन्दनी उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर	1584	क्रमांक 1774/25-07-2016

अतः मैं, श्रीमती इन्द्रा ताम्रकार, व.स.नि. एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे या स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(1306-B)

इन्द्रा ताम्रकार,  
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़**

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1033.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/21, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा गणपति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., जेरोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 21, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये गणपति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., जेरोन, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री कुलदीप अहिरवार, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1034.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/20, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा वीरांगना अवंती बाई प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मध्यप्रदेश मर्या., लिधौरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 20, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये वीरांगना अवंती बाई प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. के. ज्ञाम, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-A)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1035.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/22, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा निराश्रित पेंशन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 22, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निराश्रित पेंशन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. रावत, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-B)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1036.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/25, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा पुलिस कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 25, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये पुलिस कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. रावत, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-C)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1037.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/23, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा जय बाबा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 23, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये जय बाबा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. रावत, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-D)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1038.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/24, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा माँ वैष्णोदेवी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., जेरोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 24, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ वैष्णोदेवी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., जेरोन, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री कुलदीप अहिरवार, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-E)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1039.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/26, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा अछरू माता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., पृथ्वीपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 26, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये अछरू माता प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री कुलदीप अहिरवार, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-F)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1040.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/27, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., तरीचरकलां को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 27, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., तरीचरकलां, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुबे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-G)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1041.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/28, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., पलेरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक ....., दिनांक ..... समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., पलेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-H)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1042.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/29, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा भारत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., चचावली को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 29, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये भारत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., चचावली, तहसील ....., जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-I)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1043.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/51, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा नागरिक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., लिधौरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 51, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये नागरिक सहकारी समिति मर्या., लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-J)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1044.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/50, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा राधेश्याम नागरिक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 50, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये राधेश्याम नागरिक सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-K)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1045.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/49, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा नागरिक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., पृथ्वीपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 49, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये नागरिक सहकारी समिति मर्या., पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-L)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1046.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/53, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., सकेरा भडारन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 53, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सकेरा भडारन, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-M)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1047.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/54, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा माँ भावरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., सेपुरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 54, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ भावरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेपुरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-N)



टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1048.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/55, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा गोकुल ग्राम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., भेला को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 55, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये गोकुल ग्राम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भेला, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-O)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1049.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/52, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 52, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-P)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1050.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/48, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा पीतल पात्र एवं खिलोना उद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 48, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये पीतल पात्र एवं खिलोना उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-Q)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1051.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/44, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., गुना को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 44, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., गुना, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-R)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1052.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/45, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., लिधौरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 45, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-S)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1053.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/43, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., विरोराखेत को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 43, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., विरोराखेत, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1307-T)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1054.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/46, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., वृषभानपुरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 46, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., वृषभानपुरा, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-U)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1055.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/41, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., भभोरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 41, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., भभोरा, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेशक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-V)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1056.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/42, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., सकेरा भडारन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 42, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सकेरा भडारन, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेशक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-W)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1057.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/47, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., मुराहवावा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 47, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मुराहवावा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. मिश्रा, सह. निरी. को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-X)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1052.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/30, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा कुण्डेश्वर बीज सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., गणेश गंज को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 30, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये कुण्डेश्वर बीज सहकारी समिति मर्या., गणेश गंज, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-Y)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1059.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/39, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा नारायणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., मचोरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 39, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये नारायणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचोरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1307-Z)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1060.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/32, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा माँ पारवती बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., लिधौरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 32, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ पारवती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1061.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/35, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा धूमगढ़ बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., कैलपुरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 35, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये धूमगढ़ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कैलपुरा, तहसील बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-A)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1062.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/31, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा राधे-राधे बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., वारी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 31, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये राधे-राधे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारी, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-B)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1063.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/33, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा अंकुर भू-बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., लिधौरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 33, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये अंकुर भू-बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-C)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1064.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/37, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा सांझी बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., पृथ्वीपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 37, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये सांझी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-D)

टीकमगढ़, दिनांक 27 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1065.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2017/36, टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017 के द्वारा श्री बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मध्यप्रदेश मर्या., बैखार को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया, जिसका मुख्य कारण संस्था द्वारा समयावधि के अनुसार कार्य ना करना तथा सूचना-पत्र तामीली उपरांत पत्र क्रमांक 36, दिनांक 07 जनवरी, 2017 समयावधि में उत्तर प्रस्तुत ना किया जाना तथा पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य में रुचि ना लेना ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्री बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बैखार, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. पी. सिंह चन्देल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1308-E)

एस. पी. कौशिक,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जून, 2017-ज्येष्ठ 26, शके 1939

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 जनवरी, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर व छिन्दवाड़ा जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील सोहागपुर, जैसिंहनगर, बुदार (शहडोल), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सीहोर, पाटन, मझौली (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, जुनारदेव, अमरबाड़ा, चांद, चौरई, हरई, उमरेठ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील परासिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील जैतहरी (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला बैतूल में फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों ग्वालियर, पन्ना, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला दमोह व खरगौन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 जनवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	.. .. .. .. .. ..				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	.. .. ..				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	.. .. .. .. .. .. ..				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	.. .. .. ..				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	.. .. ..				
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	.. .. .. .. .. .. .. ..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, मक्का, चना, गेहूँ अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, गन्ना, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ सुधरी. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उंचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. *जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	4.1				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	2.0				
4. बुढार	2.0				
5. जैतपुर	..				
6. गोहपारू	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	58.0				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	10.2				
2. पाली	10.0				
3. मानपुर	3.0				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी,, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधडक्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ौदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, कपास, गेहूँ, चना, मक्का अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य व कटाई चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, मक्का, जवार, कपास	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	..	
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग, धनिया.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, सरसों की बोनी चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, मटर, मसूर, गन्ना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	7.2				
2. पाटन	14.4				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	12.1				
5. कुण्डम	..				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>48. *जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	8.6				
2. जुन्नारदेव	13.2				
3. परासिया	37.0				
4. चौद	7.1				
5. तामिया	..				
6. सोंसर	..				
7. पांडुर्णा	..				
8. अमरवाड़ा	2.0				
9. चौरई	5.2				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	2.2				
12. उमरेठ	4.2				
13. मोहखेड़ा	..				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदो-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				
7. खैरलांजी	..				
8. लालबरी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				

टीप.-\*जिला रीवा, सिंगरौली, नीमच, उज्जैन व डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1298)